



UPKN010048572015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-01, कानपुर-नगर।

उपस्थित : श्री अजय कुमार त्रिपाठी-II उच्चतर न्यायिक सेवा

सत्र परीक्षण संख्या-568 / 2015

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन पक्ष

बनाम

शिव प्रकाश तिवारी पुत्र रमाशंकर तिवारी, निवासी म0नं0 जे-335
गुजैनी, थाना-गोविन्द नगर, जिला-कानपुर नगर।

.....अभियुक्त

मु0अ0सं0-273 / 2015

धारा-302 भा0द0सं0

थाना-गोविन्द नगर, जिला-कानपुर नगर।

निर्णय

पुलिस थाना-गोविन्द नगर, जिला-कानपुर नगर द्वारा अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी के विरुद्ध धारा-302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपराध अन्तर्गत धारा-302, भा0द0सं0 अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण अभियुक्त के वाद को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 21.10.2015 को सत्र सुपुर्द किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुक्रम में उपरोक्त सत्र परीक्षण अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार से है कि वादी मुकदमा पारसनाथ शुक्ला पुत्र श्री देवी प्रसाद शुक्ला, निवासी-बैरी सवाई, थाना-शिवली, जिला-कानपुर देहात द्वारा दिनांक 25.06.2015 को थाना-गोविन्द नगर, जिला-कानपुर नगर पर इस आशय की लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत की गयी कि उसकी बहन सन्ध्या तिवारी उम्र 30 वर्ष की शादी सन् 2008 में श्री शिव प्रकाश तिवारी पुत्र श्री रमाशंकर तिवारी, निवासी जे-335 गुजैनी, थाना-गोविन्द नगर, कानपुर-नगर के साथ हुयी थी। आज दिनांक 25.06.2015 को समय करीब 7.15 बजे सांय जरिये दूरभाष सूचना मिली कि उसकी बहन की हत्या हो गयी है। इस सूचना पर जब वह जे0 ब्लाक गुजैनी अपने बहनोई के यहां आया तो काफी भीड़ एकत्र थी और देखा

कि उसकी बहन किचन के अन्दर खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी है। उसकी बहन की किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने घरेलू कैंची एवं पत्थर से पीटकर निर्मम हत्या की है एवं नकदी व सामान गायब है। अतः उसकी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाए।

वादी की तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध सं०-273/2015, धारा-302 भा०द०सं० के अन्तर्गत चिक प्रदर्श क-4 दर्ज कर अभियोग पंजीकृत किया गया और जी०डी० प्रदर्श क-5 में मुकदमा कायमी का उल्लेख किया गया। विवेचक द्वारा मामले में विवेचना प्रारम्भ की गयी। मृतका सन्ध्या तिवारी के शव का पंचायतनामा प्रदर्श क-8 पुलिस द्वारा भरकर शव को सीलकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा मृतका के शव का पोस्टमार्टम डाक्टरों द्वारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 डाक्टर द्वारा तैयार की गयी, जिसमें मृतका के शरीर पर 19 चोटें पायी गयीं तथा मृतका की मृत्यु, मृत्युपूर्व आयी चोटों के कारण शॉक एवं हैमरेज से होना पाया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना नक्शा नजरी घटनास्थल प्रदर्श क-13 तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये।

दौरान विवेचना दिनांक 09.07.2015 को तत्कालीन एस०ओ० विनोद कुमार मिश्र अन्य हमराहियान के साथ मय जीप सरकारी नं० यू०पी०-78-ए०जी०-0335 मय चालक आरक्षी बृजेन्द्र सिंह के थाने से बहवाले रपट सं०-25 समय 9.40 बजे मु०अ०सं०-273/2015, धारा-302 भा०द०सं० की विवेचना एवं सुरागरसी व पतारसी में क्षेत्र में मामूर था कि तभी सी०टी०आई० चौराहे पर काइम ब्रांच साइबर सेल के कां० शिवराम उपस्थित मिले, जिन्होंने बताया कि मृतका का पति शिव प्रकाश तिवारी सी०डी०आर० के अवलोकन से संदिग्ध लग रहा है तथा मैथा उसकी पत्नी गयी थी, तभी से दोनों में विवाद चल रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि मृतका के पति की मोटर साइकिल दोपहर में घर के बाहर खड़ी थी, उसी ने अपनी पत्नी की हत्या की है। इस सूचना पर साइबर काइम के कां० शिवराम के साथ खाना होकर घटनास्थल मृतका के पति के घर आये, जहां मृतका का पति शिव प्रकाश तिवारी मिला, जिससे पूछताछ की गयी तो वह इन्कार करता रहा, फिर बाद में थोड़ा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो उसने गलती की माफी मांगते हुए बताया कि साहब उसकी पत्नी मृतका दिनांक 15.06.2015 को उसके साहू के गांव मैथा गयी थी, जहां अपने बहनोई से मजाक कर रही थी। उसी बात को लेकर कुछ नाराजगी हो गयी थी। उसके बाद जब वह घर आयी तो 4-5 दिन से उसकी पत्नी से

बोलचाल नहीं थी, रोज वाद विवाद होता था। दिनांक 25.06.2015 को वह करीब 12 बजे घर से शास्त्री नगर काम पर चला गया था। वहां से समय करीब डेढ़ से ढाई बजे (1.30 से 2.30 पी0एम0) के बीच वापस घर आया। उसके दोनों बच्चे नीचे कमरे में सो रहे थे। वह ऊपर गया तो पत्नी मृतका सन्ध्या से वाद विवाद होने लगा। वह चाय बनाने किचन में चली गयी। वहां से उसने उसकी मर्दानगी के बारे में बहुत कुछ खराब बोल दिया तो वह उसे मारने दौड़ा तो उसने कैंची उठा लिया। उसने वहीं पर रखा सिलबट्टा उठाकर उसके मुंह पर मार दिया तथा वही कैंची लेकर उसके ऊपर गुस्से में कई वार करके मार दिया, फिर घटना को लूट का रूप देने के लिये अलमारी का लॉकर तोड़कर सामान बिखरा दिया और वह शास्त्री नगर चला गया। वहां पर जब उसके पास मोहल्ले से फोन आया, तब वह लौटकर आया। पुलिस आ गयी थी और सारी कार्यवाही की गयी। आलाकत्ल सिलबट्टे के बारे में पूछा गया तो बताया कि कैंची आपके फील्ड यूनिट वाले उसी दिन ले गये थे, किन्तु सिलबट्टा यहीं घर पर रखा है। अभियुक्त से उसका नाम व पता पूछा गया उसने अपना नाम शिव प्रकाश तिवारी बताया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घर के अन्दर छज्जे पर से खून लगा सिलबट्टा बरामद किया गया, जिसे वहीं पर एक सफेद कपड़े में रखकर सिलकर सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द प्रदर्श क-14 मौके पर तैयार कर सभी हमराहीयान के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को देकर उसके भी हस्ताक्षर कराये गये। गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार दुबे व सत्य कुमार तिवारी के समक्ष आलाकत्ल सिलबट्टे को कब्जे में लेने की फर्द प्रदर्श क-15 मौके पर तैयार की गयी। अन्य साक्ष्य संकलित किया गया तथा विवेचना के उपरान्त पुलिस द्वारा अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी के विरुद्ध धारा-302 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क-16 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनने के उपरान्त दिनांक 23.06.2016 को अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी के विरुद्ध धारा-302 के अन्तर्गत आरोप लगाया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इन्कार किया तथा विचारण किये जाने की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-1 पारसनाथ शुक्ला (वादी मुकदमा), पी0डब्लू0-2 जितेन्द्र कुमार दुबे, पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता (तथ्य की साक्षी), पी0डब्लू0-4 प्रेमलता, पी0डब्लू0-5 सपना सिंह,

पी0डब्लू0-6 विनोद कुमार अवस्थी, पी0डब्लू0-7 देवी प्रसाद शुक्ला (मृतका के पिता), पी0डब्लू0-8 डा0 दीपक अवस्थी (चिकित्सक), पी0डब्लू0-9 उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह (एफ0आई0आर0 लेखक), पी0डब्लू0-10 आनन्द कुमार शर्मा, पी0डब्लू0-11 उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह (पंचायतनामा साक्षी), पी0डब्लू0-12 प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा (प्रथम विवेचक) एवं पी0डब्लू0-13 मण्डलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव (द्वितीय विवेचक) को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने केस को साबित करने के लिये दस्तावेजी साक्ष्य में लिखित तहरीर (प्रदर्श क-1), जेवर व नगदी प्राप्त होने से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र (प्रदर्श क-2), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-3), चिक एफ0आई0आर0 (प्रदर्श क-4), कार्बन प्रति जी0डी0 (प्रदर्श क-5), निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क-6), फोटोग्राफ (प्रदर्श क-7), पंचायतनामा (प्रदर्श क-8), पत्र सी0एम0ओ0 (प्रदर्श क-9), नमूना सील (प्रदर्श क-10), फोटो लाश (प्रदर्श क-11), पुलिस फार्म नं0-33 चालान शव (प्रदर्श क-12), नक्शा नजरी (प्रदर्श क-13), फर्द बरामदगी आला कत्ल सिलबट्टा (प्रदर्श क-14), सिलबट्टा कब्जे में लिये जाने की फर्द (प्रदर्श क-15) एवं आरोप पत्र (प्रदर्श क-16) प्रस्तुत किये गये।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी और कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियोजनपक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने कथित घटना से इन्कार करते हुए कथन किया है कि एफ0आई0आर0 गलत है तथा गवाहान ने उसके विरुद्ध रंजिशन झूठी गवाही दी है। अज्ञात व्यक्तियों ने मृतका की हत्या की है। वह पंचायतनामा की कार्यवाही में शामिल था। उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा चला है तथा पुलिस ने गुडवर्क के चक्कर में झूठा मुकदमा लिखा है। वह निर्दोष है।

अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य के रूप में डी0डब्लू0-1 गौतम लाल त्रिवेदी को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अभियुक्त की ओर से न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-07, कानपुर-नगर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र 24क प्रस्तुत किया गया।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की विस्तारपूर्वक बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूपेण अवलोकन एवं परिशीलन किया।

पी0डब्लू0-1 पारसनाथ शुक्ला, जो कि वादी मुकदमा है तथा मृतका का भाई है, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि उसकी बहन का नाम सन्ध्या तिवारी था। उसका विवाह उन लोगों ने सन् 2008 में मुल्जिम शिव प्रकाश तिवारी के साथ किया था। उसकी बहन सन्ध्या अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी के साथ मकान नंबर जे-335 गुजैनी, थाना-बर्गा, कानपुर-नगर में रहती थी। घटना की दिनांक 25.06.2015 को शाम लगभग 7.20 बजे उसे जरिये दूरभाष सूचना मिली थी। उसकी बहन रमाकांती अवस्थी, जो उसके घर ग्राम-बैरी सवाई आयी हुयी थी, ने जब मोबाइल से उसकी मृतका बहन सन्ध्या तिवारी के मोबाइल पर फोन किया और जानना चाहा कि वह अपने मायके क्यों नहीं आयी। फोन उसके बहनोई शिव प्रकाश तिवारी ने उठाया और उसकी बहन व उसके बहनोई विनोद कुमार अवस्थी को बताया कि गुजैनी में उसके घर पर डकैती पड़ गयी है और सन्ध्या तिवारी का मर्डर हो गया है। इस सूचना पर वे लोग रात में ही गुजैनी अपनी बहन के घर पहुंचे तो देखा कि वहां पर काफी भीड़ एकत्र थी। *मुल्जिम शिव प्रकाश तिवारी भी उन लोगों को दिखा, परन्तु उसके चेहरे पर पत्नी की हत्या का कोई भी दुख नहीं था, आराम से खड़ा था।* उसकी बहन सन्ध्या तिवारी की लाश खून से लथपथ ऊपर वाले पोर्शन के किचन में पड़ी थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। खून निकल रहा था। शिवप्रकाश तिवारी ने बताया कि जेवर व नकदी घर से गायब है। घर में जब उन लोगों ने अलमारियाँ चेक कीं तो देखा कि पैसा व जेवर घर पर मौजूद था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना-गोविन्द नगर में तहरीर देकर लिखाई थी। पुलिस द्वारा रिपोर्ट लिखे जाने व पोस्टमार्टम हो जाने के बाद घर को चेक किया था और जब जेवर व नकदी घर पर मौजूद मिली थी, तब दरोगा जी को प्रार्थनापत्र देकर इसकी सूचना, जब वह विवेचना करने आये थे, तब दी थी। वे लोग जब घटना के पहले अपनी बहन सन्ध्या तिवारी के घर जाते थे, तब वह काफी दुखी रहती थी। पूछने पर वह उन लोगों को इसलिये कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उसके पिता हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, इसलिये वह सारी बातों को छिपाती थी कि पिताजी को कुछ हो ना जाए। घटना से दो दिन पहले उसकी बहन सन्ध्या तिवारी ने मां से गुजैनी न आने की शिकायत करने पर कहा था कि

क्या आप मेरे मरने के बाद ही आओगी। उसकी बहन सन्ध्या के शव का पोस्टमार्टम हुआ था, दाह संस्कार हुआ था तथा विवेचक ने उसके बयान लिये थे। मुल्जिम शिव प्रकाश घटना के समय के आस-पास वहीं घर पर मौजूद था, यह लोगों ने बताया था। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में लिखित तहरीर को प्रदर्श क-1 एवं जेवर व नकदी घर में मौजूद होने के सम्बन्ध में दिये गये प्रार्थनापत्र को प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया है।

पी0डब्लू0-2 जितेन्द्र कुमार दुबे ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी उसके मोहल्ले का निवासी है तथा उसके घर के पास में ही रहता है। वह और शिव प्रकाश के बीच पारिवारिक सम्बन्ध रहे हैं। शिव प्रकाश तिवारी उसके घर पर पूजा पाठ का कार्य करते थे, जिस कारण उसका इनके घर कभी-कभी आना जाना होता था। उसने शिव प्रकाश व उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होते हुए कभी नहीं देखा है। उसे नहीं मालूम कि शिव प्रकाश तिवारी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था या नहीं।

पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता सिंह, जो मृतका की पड़ोसी है, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 25.06.2015 की है। वह अपनी मां प्रेमलता देवी के साथ घर में थी। उसका घर मुल्जिम शिव प्रकाश के घर के ही सामने है। उसके छज्जे से मुल्जिम के छज्जे की दूरी आठ फिट है। मुल्जिम शिव प्रकाश तिवारी की पत्नी का नाम सन्ध्या तिवारी था। उसके तथा सन्ध्या तिवारी के पड़ोसी होने के नाते अच्छे सम्बन्ध थे। उसने घटना वाले दिन प्रातः करीब सात-आठ बजे अपने छज्जे से सन्ध्या तिवारी को रोते हुए देखा था तथा शिव प्रकाश तिवारी को बर्तन धोते देखा था तो उसने पूछा कि क्या बात हो गयी है, किन्तु कोई जवाब नहीं मिला और सन्ध्या से पूछा कि क्यों रो रही हो, किन्तु सन्ध्या ने कोई बात नहीं बतायी तो वह अन्दर चली गयी। मुल्जिम और उसकी पत्नी के बीच कई दिन से तनाव चल रहा था, किन्तु किस बात को लेकर तनाव चल रहा था, यह वह नहीं बता सकती। उन लोगों के घर घनी आबादी में हैं। घनी आबादी होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के घर में अगर आवाज होती है तो सुनाई देती है। यदि दरवाजों को बन्द कर देते हैं तो सुनाई नहीं देती। घटना वाले दिन शिव प्रकाश के घर से उसने खटपट की आवाज नहीं सुनी थी। घटना वाले दिन सुबह के बाद उसने न तो शिव प्रकाश को देखा और न ही सन्ध्या को देखा था। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि मुल्जिम लोगों के घरों में पूजा पाठ करते हैं

और दिनभर अपने घर आते जाते रहते हैं। घटना वाले दिन शिव प्रकाश के घर में कोई लूट व डकैती की घटना नहीं हुयी थी, क्योंकि घर का सामान जेवर व रूपये घर पर ही मिल गये थे। घटना वाले दिन करीब पौने छः या पौने सात बजे शाम को जाना था कि सन्ध्या तिवारी की हत्या हो गयी है। लोगों ने बताया था कि जो लोग सन्ध्या के घर गये थे तो टी0वी0 तेज आवाज में चल रही थी। जब वे लोग पहुंचे तो लाईट नहीं आ रही थी, अंधेरा था। सन्ध्या तिवारी के मायके के लोग रात में आ गये थे। पुलिस के आने के बाद मायके वाले आये थे। उसकी मां जो उसके मायके से उसके घर आयी थी, उन्होंने जब वह दोपहर में सोकर उठी थीं तो शिव प्रकाश को अपने घर में घुसते देखा था। यह बात उसे व अन्य लोगों को बताई थी। उसने दरोगा जी को बयान दिया था।

पी0डब्लू0-4 प्रेमलता, जो साक्षी पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता सिंह की मां है, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि घटना को लगभग डेढ़ वर्ष हो गये हैं। वह अपनी बिटिया सरिता सिंह के घर गुजैनी उक्त घटना के लगभग पांच दिन पहले आयी थी। वह अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी को जानती है। उसके घर के बिल्कुल सामने उसकी बेटी रहती है। उसका बेटी के यहां अक्सर आना जाना रहता है। शिव प्रकाश की पत्नी का नाम सन्ध्या था, उसको भी वह बेटी जैसा मानती थी। सन्ध्या से उसकी अक्सर बातचीत होती थी, लेकिन इस बार बोली नहीं थी। उसने घटना वाले दिन अभियुक्त शिव प्रकाश को दोपहर लगभग दो बजे उसे अपने घर जाते हुए देखा था। उस दिन पानी गिर रहा था। वह बाथरूम करने ऊपर गयी थी व पर्दा संभाल रही थी। शाम को लगभग 8.00 बजे उसे मालूम हुआ कि सन्ध्या की हत्या हो गयी है। दरोगा जी ने उससे पूछताछ की थी। जो उसे मालूम था, वो उसने बता दिया था।

पी0डब्लू0-5 सपना सिंह, जो मृतका की पड़ोसी है, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वह मुल्जिम शिव प्रकाश तिवारी को जानती है, वह उसके घर के सामने रहते हैं। घटना के समय वह शिव प्रकाश के बड़े बेटे अपूर्व को ट्यूशन पढ़ाती थी। घटना दिनांक 25.06.2015 की है। उस दिन सुबह ग्यारह बजे वह शिव प्रकाश तिवारी के बेटे अपूर्व तिवारी को पढ़ाने गयी थी। जब वह इनके घर ट्यूशन पढ़ाने गयी थी तो शिव प्रकाश की पत्नी सन्ध्या तिवारी, जिन्हें वह भाभी कहती थी, वह रो रही थीं। उसने पूछा कि भाभी क्यों रो रही हो तो भाभी कुछ नहीं बोलीं। वह उनके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने लगी। वह प्रथम खण्ड में ट्यूशन पढ़ा रही थी,

तब उसने देखा था कि प्रथम खण्ड में आगे की तरफ बैठे रो रही थी। पढ़ाने के दौरान शिव प्रकाश तिवारी आये थे, जिनसे उसने पूछा था कि भैया भाभी क्यों रो रही हैं तो भैया कुछ नहीं बोले और भाभी की तरफ घूरकर देखा और चले गये। वह बारह बजे अपने घर चली गयी थी। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान भैया (शिवप्रकाश) घर में ही थे। घटना के कुछ दिन पहले भाभी सन्ध्या तिवारी अपने मायके गयी थी और चार-पांच दिन पहले ही घर आयी थी। उसके सामने भैया भाभी की लड़ाई नहीं हुयी। जब वह मायके से वापस आयी तो उसके बाद घर का माहौल सामान्य नहीं था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था।

पी0डब्लू0-6 विनोद कुमार अवस्थी, जो मृतका के बहनोई हैं, ने अपने शपथपर्वक बयानों में यह कथन किया है कि श्रीमती सन्ध्या उसकी साली थी। उसके पति का नाम शिव प्रकाश तिवारी है। घटना दिनांक 25.06.2015 की है। उस दिन वह अपनी पत्नी व परिवार के साथ बैरी सवाई तहसील मैथा थाना-शिवली गया था, जहां शिव प्रकाश को भी अपनी पत्नी के साथ आना था, क्योंकि उन लोगों को शोभन सरकार में दर्शन करने थे। जब उसके साढ़ू ससुराल नहीं आये तो उसकी पत्नी रमाकांती ने शिव प्रकाश व सन्ध्या को फोन किया तथा उसने शिव प्रकाश से बात की तो उसने बताया कि सन्ध्या की हत्या हो गयी है। ये जानकारी उसने ससुराल के सभी लोगों को दी और सब लोग कानपुर सन्ध्या के घर आये थे, जहां उसे मृत पाया था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसके आश्रम में दिनांक 15 जून 2015 को रामायण का कार्यक्रम था, जिसमें उसने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था, जिसमें शिव प्रकाश, सन्ध्या व उसकी ससुराल वाले भी आये थे। उस दिन चाय नाश्ते में देरी होने के कारण सन्ध्या व शिव प्रकाश में कहासुनी हो गयी थी। शिव प्रकाश दूसरे दिन आये थे। सन्ध्या अपने पति के साथ वापस कानपुर उसी दिन नहीं लौटी थी, वह रूकी थी। घटना वाले दिन उसकी पत्नी ने शिव प्रकाश को जब फोन किया तब शाम का 7.30 बजा था और उसी समय उसकी शिव प्रकाश से बात हुयी थी।

पी0डब्लू0-7 देवी प्रसाद शुक्ला, जो मृतका के पिता हैं, ने अपने शपथपर्वक बयानों में यह कथन किया है कि अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी उसका दामाद है। उसने अपनी पुत्री सन्ध्या तिवारी का विवाह उसके साथ 22 अप्रैल 2008 को किया था। मृतका सन्ध्या तिवारी अपने पति व बच्चों के साथ गुजैनी में रहती थी। शिव प्रकाश तिवारी उसकी पुत्री सन्ध्या तिवारी पर शक करता था व परेशान करता था। ये बात उसकी पुत्री बताती

थी। ज्यादा बात उसे इसलिये नहीं बताती थी क्योंकि वह ब्लड प्रेशर का मरीज है। वह अपनी पुत्री को समझा देता था कि निर्वाह वहीं करना है तथा जो तुम्हें और आवश्यकता है, उसे बता देना। आवश्यकता में वह उसकी रूपये पैसे की मदद करता था। घटना 25 जून 2015 की है। घटना वाले दिन उसके बड़े दामाद विनोद अवस्थी व उसकी पत्नी रमाकांती ने मृतका सन्ध्या तिवारी को शाम लगभग 7 बजे फोन किया था कि तुम बैरी क्यों नहीं आयी। शिव प्रकाश तिवारी ने फोन उठाया और उसके बड़े दामाद को बताया था कि डकैती पड़ गयी है और सन्ध्या की हत्या हो गयी है। इस पर वह अपने पूरे परिवार के साथ गुजैनी कानपुर पहुंचा था। उसकी लड़की सन्ध्या तिवारी किचन में मृत पड़ी थी, पुलिस मौजूद थी। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि थाने में रिपोर्ट उसके लड़के ने प्रार्थनापत्र देकर की थी। जो शिव प्रकाश ने बताया था, उसी के आधार पर दी थी। अभियुक्त शिव प्रकाश व उसके दादा के लड़के अरुण तिवारी एड0 उसे दिनांक 03.07.2015 को आई0जी0 आफिस ले गये थे और एक प्रार्थनापत्र अरुण तिवारी एड0 ने टाइप कराया था और उससे यह कहा था कि पुलिस सही कार्यवाही नहीं कर रही है। उसका दिमाग अस्त व्यस्त था और उसने दस्तखत कर दिये थे। उसे अरुण तिवारी ने कहा था कि सामने वाले ठाकुर साहब को उन लोगों पर सन्देह है, फिर जब उसे पता चला कि शिवप्रकाश ने उसकी बेटी सन्ध्या की हत्या की है, तब उसने शिवप्रकाश के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए हलफनामा दिया था। उसमें सारी बातें बता दी थीं। पैसे व जेवर जो शिव प्रकाश ने डकैती में जाने की बात कही थी, वह शिव प्रकाश ने घर ही से निकालकर दिया था। घटना के लगभग दस दिन पहले मैथा आश्रम में रामायण का कार्यक्रम था, जिसमें उसके दामाद विनोद अवस्थी सहयोगी थे। उसमें शिव प्रकाश व सन्ध्या को भी बुलाया गया था। शिव प्रकाश नाश्ते व खाने में देरी हो जाने पर नाराज हो रहा था, वह सन्ध्या पर काफी बड़बड़ा रहा था। दरोगा जी ने उसका बयान लिया था। दरोगा जी को उसने सारी बातें बता दी थीं। जो उसने जमानत प्रार्थनापत्र के विरोध में शपथपत्र दिया था, उसमें शिव प्रकाश द्वारा शक व प्रताड़ना तथा अरुण तिवारी द्वारा उसे गुमराह करके उसे उच्चाधिकारियों को दिये गये प्रार्थनापत्र की बात लिख दी थी व बता दी थी।

पी0डब्लू0-8 डा0 दीपक अवस्थी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 26.06.2015 को 11.30 ए0एम0 पर वह काशीराम ट्रामा सेन्टर रामादेवी, थाना-चकेरी, कानपुर-नगर में

चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन उसकी उपरोक्त समय पर उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाऊस, कानपुर-नगर में थी। उपरोक्त समय पर उसने श्रीमती सन्ध्या तिवारी पत्नी शिव प्रकाश तिवारी के शव को सर्वमोहर हालत में मय सम्बन्धित कागजों के कां० बृजराज भूषण एवं महिला कां० श्रद्धा पाल थाना-गोविन्द नगर से प्राप्त किया था तथा शव की शिनाख्त उनके द्वारा की गयी थी। उनके द्वारा पोस्टमार्टम कार्यवाही 11.30 बजे प्रातः दिनांक 26.06.2015 को प्रारम्भ की गयी थी तथा 12.15 पर समाप्त की गयी थी। मृतका के शव की लम्बाई 155 सें०मी० सामान्य औसत शरीर था। मृतका के शरीर पर एक मैक्सी, एक पेटिकोट, एक जोड़ी तोड़िया सफेद धातु, 04 बिछिया सफेद धातु, नाक की तल्ली पीली धातु व चूड़ियों के टुकड़े मौजूद थे।

बाह्य परीक्षण :-

मृतका के शरीर पर ऊपरी हिस्से से अकड़न जा रही थी, परन्तु निचले हिस्से में अकड़न मौजूद थी। नितम्बों पर पी०एम० स्टेनिंग मौजूद थी। मृतका की आँखें बन्द थीं। मुँह अधखुला था तथा नाक में खून का थक्का मौजूद था।

बाहरी चोटों का विवरण -

- (1) 2 सें०मी० x 1 सें०मी० कटा हुआ घाव माथे की दायीं ओर बायीं भौं से 2 सें०मी० ऊपर
- (2) 4 सें०मी० x 1से०मी० कटा हुआ घाव माथे पर दायीं भौं के ठीक ऊपर
- (3) 2 सें०मी० x 1 सें०मी० स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक बायीं ऊपरी पलक के बायें हिस्से पर
- (4) 3 सें०मी० x 1 सें०मी० स्टैब वूण्ड हड्डी की गहराई तक हड्डी को काटते हुए बायें गाल पर बायीं आँख के बाहरी हिस्से से 3 सें०मी० नीचे स्थित थी।
- (5) 4 सें०मी० x 2 सें०मी० स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक बायें गाल पर चोट नं०-4 से 2 सें०मी० नीचे
- (6) 2 सें०मी० x 1 सें०मी० स्टैब वूण्ड बायें जबड़े पर मांसपेशी की गहराई तक मुँह के बायीं तरफ के बाहरी हिस्से से 3 सें०मी० नीचे स्थित थी।
- (7) 2 सें०मी० x 1 सें०मी० स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक गर्दन की बायीं ओर बायें कान से 4 सें०मी० नीचे स्थित थी।
- (8) 1 सें०मी० x .5 सें०मी० स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक बायें जबड़े के बाहरी एंगल से 2 सें०मी० नीचे स्थित थी।
- (9) 1 सें०मी० x .5 सें०मी० स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक बायीं ओर की गर्दन पर बायें कान से 5 सें०मी० नीचे स्थित थी।

- (10) 1 सें0मी0 x 0.5 सें0मी0 स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक बायें जबड़े पर स्थित थी।
- (11) 1 सें0मी0 x 1 सें0मी0 स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक बायीं ओर गर्दन पर बायीं हसुली के बीच के बिन्दु से थोड़ा बाहर की ओर 3 सें0मी0 ऊपर स्थित थी।
- (12) 3 सें0मी0 x 2 सें0मी0 स्टैब वूण्ड श्वास नली की गहराई तक एवं ऊतकों की गहराई तक बायीं हसुली के बीच के बिन्दु से 5 सें0मी0 ऊपर तथा बायें जबड़े के बाहरी कोण से 7 सें0मी0 नीचे स्थित थी।
- (13) 4 सें0मी0 x 2 सें0मी0 स्टैब वूण्ड गर्दन के नरम ऊतकों एवं आंतरिक संरचनाओं की गहराई तक बायीं हसुली के ऊपर की ओर बायें हिस्से से 2 सें0मी0 ऊपर स्थित थी।
- (14) 4 सें0मी0 x 2 सें0मी0 स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक दायीं ओर गर्दन पर दायें जबड़े से 4 सें0मी0 नीचे स्थित थी।
- (15) 3 सें0मी0 x 2 सें0मी0 स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक चोट नं0-14 से 1 सें0मी0 नीचे स्थित थी।
- (16) 2 सें0मी0 x 1 सें0मी0 स्टैब वूण्ड मांसपेशी की गहराई तक दाहिनी हसुली के अन्दरूनी हिस्से से 5 सें0मी0 ऊपर स्थित थी।
- (17) 5 सें0मी0 x 2 सें0मी0 नीलगू सूजन बायीं तरफ के ऊपरी ओंठ पर स्थित थी।
- (18) 2 सें0मी0 x 1 सें0मी0 नीलगू सूजन दाहिने निचले ओंठ पर मौजूद थी।
- (19) 9 सें0मी0 x 6 सें0मी0 नीलगू सूजन सिर पर बायीं ओर कनपटी के ऊपर (Temporopartial Area) पर स्थित थी।

आन्तरिक परीक्षण :-

दिमाग का वजन 1200 ग्राम था, दिमाग की झिल्लियां Pale थीं। दांत 16/16 थे। गर्दन की खून की नसें कई स्थानों पर कटी हुयी थीं तथा श्वास नली भी पूरी तरह कटी हुयी थी। दाये फेफड़े का वजन 550 ग्राम और बायें फेफड़े का वजन 500 ग्राम था। फेफड़े की झिल्लियां Pale थीं। हृदय का वजन 200 ग्राम था एवं बायीं तथा दायीं ओर से चैम्बर खाली थे। बड़े खून की नसें सिकुड़ी हुयी थीं। खाने की थैली का वजन 170 ग्राम था तथा उसमें 100 एम0एल0 अर्धपचित भोजन मौजूद था। खाने की थैली की अन्दरूनी सतह सामान्य थी। छोटी आंत आंशिक रूप से गैस द्वारा भरी हुयी थी तथा बड़ी आंत में वायु एवं मल मौजूद था। लीवर का वजन 1300 ग्राम था, पीलापन मौजूद (Pale) था। पित्त की थैली आंशिक रूप से भरी हुयी थी तथा तिल्ली का वजन 150 ग्राम था, वह भी Pale थी। बायां गुर्दा 40 ग्राम तथा दायं गुर्दा 150 ग्राम वजन का था तथा दोनों गुर्दे Pale थे। पेशाब की थैली खाली थी। बच्चेदानी सामान्य थी एवं कोई गर्भ नहीं था।

मृत्यु का समय – लगभग एक दिन के अन्दर

मृत्यु का कारण – चोटों के कारण अधिक रक्तस्राव के कारण Shock से हुयी है।

इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। चोटें मृत्यु के लिये पर्याप्त थीं। मृत्युपूर्व चोट सं०-1 लगायत 16 लोहे की कैंची से भी आ सकती हैं। चोट सं०-17, 18, 19 पत्थर के सिलबट्टे से भी आ सकती हैं। मृतका के शरीर में चोटें दिनांक 25.06.2015 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 5.00 बजे के मध्य कैंची व सिलबट्टे से आना संभव हैं और इन चोटों से मृत्यु होना संभव है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया है।

पी०डब्लू०-9 उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह, जो चिक एफ० आई० आर० लेखक हैं, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 25.06.2015 को समय 23.05 बजे वह थाना-गोविन्द नगर में हेड मोहरीर के पद पर तैनात था। उस दिन उपरोक्त समय पर वादी मुकदमा पारसनाथ शुक्ला ने थाने पर आकर एक तहरीर दी थी तथा उक्त तहरीर के आधार पर उसके साथ तैनात का० आपरेटर (कम्प्यूटर) नितिन भल्ला ने उसके बोलने पर चिक अ०सं०-273/2015, धारा-302 भा०द०सं० कम्प्यूटर में टाईप की थी। टाईपशुदा चिक पर थाना प्रभारी विनोद कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं, जो उसके साथ तैनात रहे हैं तथा वह उनके लेख व हस्ताक्षर से परिचित है। मुकदमा कायमी का तस्करा उसने उसी दिन दिनांक 25.06.2015 को समय 23.05 बजे जी०डी० में रपट सं०-64 पर अपने लेख व हस्ताक्षर में किया था। मुकदमा कायमी की सूचना जरिये आर०टी० सेट उच्चाधिकारियों को दी गयी थी। इस साक्षी ने चिक एफ०आई०आर० को प्रदर्श क-4 एवं जी०डी० की कार्बन प्रति को प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है।

पी०डब्लू०-10 आनन्द कुमार शर्मा ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 25.06.2015 को वह फील्ड यूनिट छावनी, कानपुर-नगर में आई०एल०ए० के पद पर तैनात था। उस दिन उसके आफिस के वरिष्ठ वैज्ञानिक को मोबाइल द्वारा जे-335 गुजैनी, थाना-गोविन्द नगर, कानपुर-नगर में हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर वरिष्ठ वैज्ञानिक महोदय ने उसे घटनास्थल पर निरीक्षण के लिये भेजा था। उक्त आदेश पर वह, राघवेन्द्र तिवारी, सूरज सिंह, सुरेश कुमार व दशरथ प्रसाद जे-335 गुजैनी समय 9.35 पी०एम० पर दिनांक 25.06.2015 को पहुंचे थे तथा

उपरोक्त घटनास्थल का निरीक्षण किया था और घटनास्थल से साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचक को दिया था, जो निम्न प्रकार है :—(1) फर्श से लिया गया ब्लड स्टेन कॉटन स्वैब एक अदद, (2) प्लेन कॉटन एक अदद, (3) मृतका की बायें हाथ की हथेली से लिये गये बाल एक अदद पालीबैग, (4) एक अदद रक्तरंजित लोहे की कैंची एवं (5) आठ अदद लाल रंग की चूड़ी के टुकड़े एक पालीबैग में। उसके निर्देशन पर उसके विभाग के कां० सूरज सिंह द्वारा डिजिटल फोटोग्राफ घटनास्थल पर मौजूद शव एवं साक्ष्य के लिये गये थे, जिन्हें उसके सामने कम्प्यूटर से निकाला गया था। रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है। घटनास्थल से एकत्रित साक्ष्य व निरीक्षण से कथित घटना हत्या है तथा मृतका की हत्या बेरहमी से की गयी है। लूट की कोई भी संभावना प्रतीत नहीं हो रही थी। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथित घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ को प्रदर्श क-6 व क-7 तथा कैंची, पालीथिन, कपड़ा, खून आलूदा बाल, पालीथिन, कपड़ा, सादा कॉटन व पालीथिन को क्रमशः वस्तु प्रदर्श-1 लगायत वस्तु प्रदर्श-8 के रूप में साबित किया है।

पी०डब्लू०-11 उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह, जो पंचायतनामा के साक्षी हैं, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 25.06.2015 को वह चौकी इंचार्ज रतनलाल नगर, थाना-गोविन्द नगर, कानपुर-नगर में तैनात था। उस दिन उसके थाने में हत्या की सूचना प्राप्त होने पर उसे कांस्टेबल द्वारा पंचायतनामा से सम्बन्धित सारे कागजात सुपुर्द किये गये थे। हत्या की रिपोर्ट मृतका के भाई द्वारा की गयी थी। वह अपने हमराहियों के साथ घटनास्थल जे०-335 गुजैनी, थाना-गोविन्द नगर पहुंचा था तथा मृतका श्रीमती सन्ध्या तिवारी पत्नी शिव प्रकाश तिवारी के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही 23.35 बजे प्रारम्भ की थी। मृतका का शव मकान के प्रथम तल पर बने किचेन के दरवाजे के पास चित्त अवस्था में रक्तरंजित पड़ा हुआ था। उसके द्वारा पंच नियुक्त किये गये थे, जिनमें शिव प्रकाश तिवारी, प्रदीप मिश्रा, राकेश पाल, अरुण कुमार तिवारी व संदीप कुमार मिश्रा थे। मृतका के गले में बायीं तरफ 07 घाव होते हुये खून आलूदा दाहिनी तरफ तीन घाव होते हुए खून आलूदा ओंठ पर दाहिनी तरफ कट का निशान और कई जाहिरा चोटें थीं। पंचों की राय थी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये शव का पोस्टमार्टम करा लिया जाए। वह भी उनकी राय से सहमत था। पंचायतनामा व सम्बन्धित अन्य कागजात चिट्ठी सी०एम०ओ०, नमूना सील, फोटो लाश एवं चालान लाश उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में उपरोक्त

घटनास्थल पर तैयार किये थे। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में पंचायतनामा एवं उससे सम्बन्धित प्रपत्र चिट्ठी सी०एम०ओ०, नमूना सील, फोटो लाश एवं चालान लाश को क्रमशः प्रदर्श क-8 लगायत प्रदर्श क-12 के रूप में साबित किया है।

पी०डब्लू०-12 तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, जो मामले के प्रथम विवेचक हैं, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 25.06.2015 को वह थाना-गोविन्द नगर में इन्स्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। मु०अ०सं०-273/2015 की विवेचना उसके सुपुर्द की गयी थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त उसके द्वारा नकल दस्तावेज दर्ज केस डायरी कर गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल की बरामदगी की गयी। अन्य गवाहान एवं अभियुक्त का बयान अंकित किया गया। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम के साक्षियों के बयान अंकित किये गये। स्वतन्त्र साक्षी देवी प्रसाद शुक्ला, विनोद कुमार अवस्थी तथा राकेश सिंह चौहान के बयान अंकित किये गये। आलाकत्ल को परीक्षण हेतु विधिविज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया था। इसके उपरान्त उसका स्थानान्तरण हो जाने के कारण अग्रिम विवेचना अन्य विवेचक द्वारा की गयी। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि अभियुक्त शिव प्रकाश से बरामद आलाकत्ल सिलबट्टा की फर्द उसके द्वारा तैयार की गयी थी, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। सिलबट्टा समक्ष गवाहान कब्जे में लिया गया तथा उसकी फर्द भी तैयार की गयी थी, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में नक्शा नजरी घटनास्थल, आलाकत्ल सिलबट्टे की बरामदगी की फर्द तथा आलाकत्ल सिलबट्टे को समक्ष गवाहान कब्जे में लिये जाने की फर्द को क्रमशः प्रदर्श क-13 लगायत प्रदर्श क-15 तथा झोले, सिलबट्टे व पर्ची को वस्तु प्रदर्श-13 लगायत वस्तु प्रदर्श-15 के रूप में साबित किया है।

पी०डब्लू०-13 मण्डलाधिकारी अजय प्रकाश श्रीवास्तव, जो मामले के द्वितीय विवेचक हैं, ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 18.09.2015 को वह थाना-गोविन्द नगर में बतौर प्रभारी निरीक्षक तैनात था और उसने अजय कुमार सिंह के स्थानान्तरण हो जाने के कारण मु०अ०सं०-273/2015, धारा-302 भा०द०सं० की विवेचना ग्रहण की थी। विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त उसने पूर्व विवेचक द्वारा किता किये

गये पर्चों का अवलोकन किया। अन्य साक्ष्य संकलित किया गया। परिस्थितिजन्य साक्षियों के साक्ष्य, तमामी विवेचना एवं विधिविज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के आधार पर अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में उक्त आरोप पत्र को प्रदर्शक-16 के रूप में साबित किया है।

बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी0डब्लू0-1 गौतम लाल त्रिवेदी ने अपने शपथपूर्वक बयानों में यह कथन किया है कि वह ज्योतिष का काम करता है तथा उसका कार्यालय 127/23 शास्त्री नगर, कानपुर-नगर में है। इस कार्यालय में वह बैठता है और उमाकान्त अग्निहोत्री, अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी एवं अन्य ज्योतिषाचार बैठते हैं। शिव प्रकाश तिवारी उसके कार्यालय में लगभग 20 वर्ष से बैठ रहे हैं। शिव प्रकाश तिवारी प्रतिदिन साढ़े ग्यारह व 12 बजे के बीच में आ जाते थे और शाम को 6-6.30 बजे तक कार्यालय में बैठते थे। दिनांक 25.06.2015 को शिव प्रकाश तिवारी कार्यालय में करीब 12.00 बजे दिन में आ गये थे और शाम को 6.00 बजे तक रहे थे तथा 6.00 बजे के बाद कार्यालय से चले गये थे। इस दौरान शिव प्रकाश तिवारी कार्यालय छोड़कर कहीं नहीं गये और निरन्तर कार्यालय में बैठे रहे। इस घटना की सूचना उसे पौने आठ बजे मिली थी, तब वह गया था। उसे सूचना मिली थी कि शिव प्रकाश की पत्नी की लूटपाट में हत्या हो गयी है। शिव प्रकाश को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है, क्योंकि वह घटना के समय उसके साथ कार्यालय में ही थे। शिव प्रकाश काफी समय से ज्योतिषाचार का काम करते थे।

अभियुक्त की ओर से न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-07, कानपुर-नगर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 24क में उसके द्वारा यह कथन किया गया कि प्रार्थी शिवप्रकाश तिवारी पुत्र श्री रमाशंकर तिवारी, निवासी 335 गुजैनी, थाना-गोविन्द नगर, कानपुर-नगर धारा-302 भा0द0सं0, थाना-गोविन्द नगर के मुकदमे में दिनांक 10.07.2015 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उक्त मुकदमे में घटना दिनांक 25.06.2015 को प्रार्थी लगभग 12 बजे अपने कार्यस्थल शास्त्री नगर को चला गया था। प्रार्थी पेशे से पुरोहित है। जिस समय प्रार्थी अपने घर से निकला था, उस समय प्रार्थी के बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर घर पर थी। प्रार्थी के घर से निकलने के बाद प्रार्थी की पत्नी संध्या की निर्ममता से हत्या कर दी गयी, जिसकी सूचना प्रार्थी को सांयकाल दूरभाष पर प्राप्त हुयी, तब प्रार्थी घर पहुंचा तो देखा कि पत्नी को मार दिया गया था व उसके द्वारा पहने गये

गहने शव से गायब थे तथा अलमारी का लॉकर टूटा व सामान बिखरा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लगा कि प्रार्थी की पत्नी की लूट के बाद हत्या कर दी गयी है, जिस पर प्रार्थी द्वारा वहां पर पहले से मौजूद पुलिस अधिकारीगण को मौखिक व लिखित रूप से अवगत कराया गया एवं उनके द्वारा पूछे जाने पर कि यदि आप को किसी पर शक हो तो बतायें तो मैंने उन्हें बताया कि मकान के सामने रहने वाले परिवार की महिलायें व भाई द्वारा पूर्व में काफी समय से घर की तरफ झांकने व अश्लीलता की बात मेरी पत्नी द्वारा बतायी गयी थी और प्रार्थी की पत्नी के द्वारा उसके भाई को अपमानित किया गया था और झगड़ा भी हुआ था। प्रार्थी को पूर्ण अन्देशा है कि उनके द्वारा ही यह लूट और हत्या को अंजाम दिया गया है, जिसकी लिखित तहरीर प्रार्थी के ससुरालीजन साले के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध हत्या व लूट का दिया गया, जिस पर पुलिस को प्रभाव में लेकर व अपनी करतूत को छिपाने के लिये मकान के सामने रह रहे लोगों द्वारा झूठा बयान देकर प्रार्थी को ही झूठा फंसा दिया गया। पुलिस द्वारा अनुचित लाभ लेकर प्रार्थी के निर्दोष होते हुए भी झूठी मनगढ़न्त कहानी व बयानों को आधार बनाकर दिनांक 10.07.2015 को प्रार्थी को जेल भेज दिया गया। प्रार्थी का दोष मात्र इतना है कि वह मृतका का पति है। अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थी को न्याय देने की कृपा करें।

अभियोजनपक्ष द्वारा अपने तर्क में यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है, किन्तु घटना अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी, जो मृतका का पति है, उसके घर में हुयी है। चूंकि अभियुक्त के घर में उसकी पत्नी की हत्या हुयी है, अतः अवधारणा अभियुक्त के विरुद्ध की जायेगी। प्रस्तुत मामले में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। समस्त साक्ष्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य है एवं विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, किन्तु परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोल सकती हैं। अभियोजनपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि जहां पी0डब्लू0-1 वादी पारसनाथ शुक्ला ने तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित करते हुए मृतका एवं अभियुक्त के मध्य सम्बन्ध अच्छे न होने का साक्ष्य दिया है, वहीं पी0डब्लू0-2 जितेन्द्र कुमार दुबे, जो पक्षद्रोही साक्षी हो गया है, उसने भी अपने साक्ष्य में अभियुक्त के कथन के विपरीत यह स्वीकार किया है कि शिव प्रकाश के पिता ने स्वयं बताया था कि कुछ गया नहीं है। अभियुक्त एवं उसकी पत्नी के मध्य चल रहे तनावपूर्ण सम्बन्धों के बारे में पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता, पी0डब्लू0-5 सपना सिंह, पी0डब्लू0-6 विनोद कुमार

अवस्थी एवं पी0डब्लू0-7 मृतका के पिता देवी प्रसाद शुक्ला ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ पी0डब्लू0-4 के रूप में परीक्षित प्रेमलता ने भी दोपहर 2.00 बजे अभियुक्त को अपने घर में जाते हुए देखे जाने का कथन किया है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विशेषज्ञ साक्षी ने 11.30 बजे दिनांक 26.06.2015 को पोस्टमार्टम के लिये शव के आने का कथन किया है। वहीं उन्होंने अपने साक्ष्य में मृत्यु का समय लगभग एक दिन के अन्दर का होना बताया है, जो पी0डब्लू0-4 प्रेमलता द्वारा किये गये कथन कि अभियुक्त को दिन में 2.00 बजे घर के अन्दर जाते हुए देखा था, वह समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं विशेषज्ञ साक्षी के कथन से मेल खाता है। शेष अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन केस को साबित किया है तथा औपचारिक साक्षीगण ने भी अभियोजन प्रपत्रों को बखूबी साबित किया है। अभियोजन कथानक सन्देह से परे पूर्ण रूप से साबित है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी मृतका श्रीमती सन्ध्या तिवारी की कैंची एवं सिलबट्टे से मारकर हत्या कारित की गयी है तथा विवेचना के अनुक्रम में अभियुक्त की निशादेही पर उसके मकान के छज्जे से आलाकत्ल सिलबट्टे को पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। इस प्रकार अभियोजनपक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर दंडित किया जाए।

बचावपक्ष की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामला बिल्कुल असत्य, फर्जी एवं कल्पनाओं पर आधारित है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त के पास हत्या करने का कोई हेतुक (Motive) नहीं है। अभियोजन के किसी साक्षी ने घटना नहीं देखा है। परिस्थितियों की श्रंखला ऐसी नहीं है जो अभियुक्त की दोषिता सिद्ध करती हो। पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता, पी0डब्लू0-4 प्रेमलता एवं पी0डब्लू0-5 सपना सिंह से अभियुक्त की रंजिश है तथा दुश्मनी के कारण उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अभियुक्त एवं मृतका आपस में पति पत्नी हैं तथा पति और पत्नी के सम्बन्ध सामान्य थे। अभियोजन के साक्षीगण अभियोजन केस को सिद्ध कर पाने में पूर्णतया विफल रहे हैं। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य अभियोजन कथानक के सर्वथा विपरीत है। अतः इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य की सम्यक विवेचना किया जाना आवश्यक है।

बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू0-1 पारसनाथ शुक्ला ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-5 पर यह स्वीकार किया है कि मृतका के बच्चे अभय व अपूर्व मुझे मौके पर मिले थे। मैंने बच्चों से पूछताछ नहीं की, क्योंकि वे डरे हुए थे और रो रहे थे। मैंने घटना की तहरीर थाने पर जाकर लिखी थी, तहरीर मैंने अपने मन से लिखी थी। बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के अनुसार मृतका के बच्चे घटना के समय घर पर ही थे और पी0डब्लू0-1 वादी के द्वारा यह बताया गया है कि उसकी बच्चों से मुलाकात भी हुयी थी, किन्तु उनका कोई बयान न किया जाना या उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन के लिये घातक है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया है। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि यह अभियोजनपक्ष का विशेषाधिकार है कि वह किसी साक्षी को परीक्षित कराये। पी0डब्लू0-1 वादी के साक्ष्य में यह आ चुका है कि मृतका के बच्चे बेहद डरे हुए थे और रो रहे थे। ऐसी दशा में उनको साक्ष्य में परीक्षित न कराये जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन पर नहीं पड़ता है। न्यायालय इस मत की भी है कि बचावपक्ष ने भी मृतका के उक्त बच्चों को परीक्षित नहीं कराया है। ऐसी दशा में मृतका के बच्चों को परीक्षित न कराये जाने के सम्बन्ध में कोई अवधारणा नहीं की जा सकती है।

पी0डब्लू0-1 वादी पारसनाथ शुक्ला ने ही प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-6 पर यह कथन किया है कि मुझे यह बात मालूम है कि अभय को सामने वाले सेंगर साहब की बेटी ट्यूशन पढ़ाने आती थी। मैं कमरे में गया था। मैंने अलमारियाँ दूर से देखी थीं। एक पल्ला खुला था व एक बन्द था। लॉकर टूटा हुआ नहीं था। इसी पृष्ठ पर पी0डब्लू0-1 वादी ने यह भी कथन किया है कि मैंने तहरीर थाने में दिनांक 27.06.2015 को शाम को इस बात की दी थी कि घरवालों के साथ देखने पर नगदी व जेवर प्राप्त हो गया। रूपया 27,600/-नगद, एक चांदी का गुच्छा, एक टूटी हुयी अंगूठी शिव प्रकाश की और एक सही अंगूठी प्राप्त हुयी थी। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-7 पर पी0डब्लू0-1 ने यह कथन किया है कि हम लोग जब अपनी बहन सन्ध्या तिवारी के घर जाते थे तो वह काफी दुखी रहती थी। पूछने पर हम लोगों को इसलिये कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे पिता हाई ब्लडप्रेसर के मरीज थे, इसलिये सारी बातों को छिपाती थी कि पिताजी को कुछ हो न जाए। इस घटना के दो दिन पहले मेरी बहन सन्ध्या तिवारी ने मां से मुझे न आने की शिकायत करने पर कहा था कि आप मेरे मरने के बाद ही आओगी। इसी

पृष्ठ पर प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-1 ने यह भी बताया है कि मेरे पिताजी का मोबाइल नं0 9794690086 है। शिव प्रकाश का मोबाइल नंबर नहीं मालूम है, फिर कहा कि याद नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है कि शिव प्रकाश व उसके पिताजी की बात घटना वाले दिन एक-डेढ़ बजे के बीच हुयी थी, क्योंकि यह बात मुझे मेरे पापा ने बतायी थी।

पी0डब्लू0-2 के रूप में परीक्षित साक्षी जितेन्द्र कुमार दुबे ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए यह कथन किया था कि मैंने शिव प्रकाश और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा होते हुए कभी नहीं देखा है। इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर अभियोजनपक्ष द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी है। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-2 ने पृष्ठ-2 पर यह कथन किया है कि मुझे नहीं मालूम कि दिनांक 27.06.2015 को शिव प्रकाश तिवारी समय लगभग ढाई-तीन बजे अपने घर पर था या नहीं। पृष्ठ-2 पर ही इस साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि जब मैं घटना की सूचना पर शिव प्रकाश के घर गया था तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में किचन में पड़ी थी। किचन में खून पड़ा था और मृतका के शरीर में काफी चोटें थीं। *शिव प्रकाश के पिता ने स्वयं बताया था कि कुछ गया नहीं है। पैसा आदि सब घर पर रखा है।* बचावपक्ष द्वारा भी पी0डब्लू0-2 जितेन्द्र कुमार दुबे से प्रतिपरीक्षा की गयी है, लेकिन बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आ सका है।

पी0डब्लू0-3 के रूप में श्रीमती सरिता को परीक्षित कराया गया है, जिनके सम्बन्ध में बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि मैं शिव प्रकाश के घर पहुंची तो घर में अंधेरा था। जब लोगों ने बताया, तब ज्ञात हुआ कि घटना घटी है। शिव प्रकाश के बच्चों ने मेरे किरायेदार के बच्चों को बताया था कि मेरी माँ फ्रिज में करेन्ट से चिपक गयी है। जब मैं शिव प्रकाश के घर पहुंची तो मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन टार्च और इमरजेन्सी लाईट से देखकर बताया कि मर्डर हो गया है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-4 पर पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता ने यह कथन किया है कि शिव प्रकाश से कभी फोन से कोई बात नहीं होती थी। मैंने पुलिस को कभी कोई फोन नहीं किया। मेरी बेटी ने मेरा नम्बर सी0ओ0 को दिया था। इसी पृष्ठ पर पी0डब्लू0-3 द्वारा यह बताया गया है कि पुलिस के आने का टाइम नहीं देखा था, अंधेरा हो गया था। मैंने पुलिस वालों को घर में घुसते हुए देखा था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-5 पर पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता द्वारा यह कथन किया गया है कि शिव प्रकाश के बच्चों को मेरी लड़की

रजनी घटना के एक महीने पहले से पढ़ा रही थी। शिव प्रकाश के बच्चे मेरी बेटी के स्कूल गिलेक्सी में पढ़ते थे। शिवप्रकाश के बच्चे किस क्लास में पढ़ते थे, मैं नहीं बता सकती। घटना के समय छुट्टियाँ चल रही थीं, बच्चे घर पर थे। शिव प्रकाश के बच्चे स्कूल नहीं गये थे। यह कहना गलत है कि मैंने दरोगा जी को यह बताया था कि मेरी बेटी ने घटना के 15 दिन पहले से बच्चों को पढ़ाना बन्द कर दिया था। खुद कहा कि मेरी बेटी ने पढ़ाना बन्द नहीं किया था, घटना के समय पढ़ा रही थी।

पी0डब्लू0-4 के रूप में प्रेमलता को परीक्षित कराया गया है, जिसने घटना वाले दिन अभियुक्त शिवप्रकाश को दोपहर में दो बजे अपने घर जाते हुए देखा था। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-4 प्रेमलता ने यह कथन किया है कि मेरी नातिन का नाम सपना है। घटना वाले दिन मेरी नातिन सपना, सन्ध्या के घर उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने नहीं गयी थी और न ही सन्ध्या के घर पर गयी थी। शिव प्रकाश के दोपहर में घर आने की बात मेरे मोहल्ले वालों ने बतायी थी। बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी0डब्लू0-4 प्रेमलता का यह कथन मुख्य परीक्षा में किये गये कथन से सर्वथा विपरीत है। जहां एक ओर मुख्य परीक्षा में पी0डब्लू0-4 प्रेमलता द्वारा यह कथन किया गया है कि " मैंने घटना वाले दिन अभियुक्त शिव प्रकाश को दोपहर में लगभग दो बजे उसे अपने घर जाते हुए देखा था। उस दिन पानी गिर रहा था। मैं बाथरूम करने ऊपर गयी थी व पर्दा संभाल रही थी। " किन्तु प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-4 प्रेमलता द्वारा यह कथन किया गया है कि शिव प्रकाश के दोपहर में घर आने की बात मेरे मोहल्ले के लोगों ने बतायी थी। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि पी0डब्लू0-4 द्वारा किये गये उपरोक्त दोनों कथन आपस में अन्तरविरोधी नहीं हैं। दोनों कथन एक दूसरे से असंगत नहीं हैं। सम्भव है कि पी0डब्लू0-4 प्रेमलता ने अभियुक्त शिव प्रकाश को घर आते हुए देखा हो और मोहल्ले के लोगों ने भी अभियुक्त को घर आते हुए देखने की बात बतायी थी। ऐसी दशा में न्यायालय इस मत की है कि उक्त दोनों कथनों का अन्तरविरोधी न होने के कारण इसका कोई लाभ बचावपक्ष को नहीं दिया जा सकता।

पी0डब्लू0-5 के रूप में सपना सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने घटना वाले दिन में 11.00 बजे शिवप्रकाश तिवारी के घर में उनके बेटे अपूर्व को ट्यूशन पढ़ाने जाने का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-5 ने यह कथन किया है कि मेरी मम्मी सरिता सिंह का शिव प्रकाश के घर आना जाना नहीं था, केवल बातचीत होती थी, किसी कार्यक्रम

में आते जाते थे। बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि जहां एक तरफ पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता ने मृतका के घर आने जाने का कथन किया था और अच्छे सम्बन्ध होने की बात कही थी, वहीं पी0डब्लू0-5 सपना सिंह ने इस तथ्य से इन्कार करते हुए कहा है कि मेरी मम्मी सरिता सिंह का शिव प्रकाश के घर आना जाना नहीं था। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि सम्बन्ध अच्छे होने का कथन पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता ने अपने साक्ष्य में किया है और पी0डब्लू0-5 सपना सिंह का यह कथन कि आना जाना नहीं था, इससे सम्बन्ध खराब होने का संकेत नहीं मिलता है, जबकि पी0डब्लू0-5 सपना सिंह स्वयं ही मृतका के घर उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। यह स्वाभाविक भी है कि जहां घर आमने-सामने हो, वहां लोग अपने घरों से भी एक दूसरे से बात व्यवहार रखते हैं। अच्छे सम्बन्ध के लिये यह जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के घरों में बराबर आना जाना लगा रहे तथा एक दूसरे के घर न आने जाने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उनके मध्य सम्बन्ध खराब थे। पी0डब्लू0-5 सपना सिंह ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-2 पर यह कथन किया है कि मैंने अपने बयान में यह बिल्कुल सही लिखाया है कि मेरे पूछने पर कि भैया, भाभी क्यों रो रही हैं तो भैया शिवप्रकाश ने भाभी की तरफ घूरकर देखा और चुपचाप चले गये।

पी0डब्लू0-6 के रूप में विनोद कुमार अवरस्थी को परीक्षित कराया गया है, जो मृतका के सगे बहनोई हैं। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के सम्बन्ध में बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-2 पर यह कथन किया है कि जब मैं 05 जून 2015 को अभियुक्त शिव प्रकाश के घर गया था तो मुझे सन्ध्या व शिव प्रकाश दोनों लोग मिले थे। मेरे साथ मेरी पत्नी व बच्चे थे। मैं दूसरे दिन सुबह 8.30 बजे शिव प्रकाश के घर से चल दिया था और अपने घर करीब 10.30 बजे पहुंच गया था। अखण्ड रामायण के सम्बन्ध में मेरी कोई बात नहीं हुयी थी। सन्ध्या, शिव प्रकाश व उनके बच्चे दिनांक 14.06.2015 को मैथा आश्रम आ गये थे। कार्यक्रम 15.06.2015 को था। सन्ध्या 17 जून 2015 तक मैथा में रूकी थी। वार्षिक पर्व में आश्रम में रूकने के लिये स्त्रियों के लिये व्यवस्था रहती है। दिनांक 14 जून 2015 से 17 जून 2015 के मध्य सन्ध्या मेरे घर गयी थी। मैं कभी भी शोभन सरकार के दर्शन करने अपनी साली मृतका सन्ध्या के साथ नहीं जाता था, बल्कि अपने परिवार के साथ दर्शन करने जाता था। इसी पृष्ठ पर अंतिम पंक्तियों में पी0डब्लू0-6 द्वारा यह कथन किया गया है कि मैं यह नहीं बता सकता कि सन्ध्या का सिर किस दिशा में था, पैर किस दिशा

में थे। सन्ध्या सलवार सूट पहने हुए थी। मुझे ज्यादा याद नहीं कि सलवार सूट का रंग क्या था।

पी0डब्लू0-7 के रूप में मृतका के पिता देवी प्रसाद शुक्ला को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने मुख्य परीक्षा में शिव प्रकाश तिवारी द्वारा सन्ध्या पर शक करने व उसे परेशान करने की बात का कथन किया है। प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-7 द्वारा यह बताया गया है कि मैं करीब नौ बजे रात को घटनास्थल पहुंच गया था। जब वहां पहुंचा तो पुलिस व पब्लिक बहुत थी। वहां पुलिस वालों से मेरी मुलाकात हुयी थी, लेकिन मुझे अन्दर जाने नहीं दिया। मैं थाने पर लगभग 11 बजे पहुंचा था। मैंने घटना से पूर्व शक व प्रताड़ना के आधार पर किसी अधिकारी को कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया था। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-4 पर पी0डब्लू0-7 द्वारा यह कथन किया गया है कि कथित घटना वाले दिन मृतका मैक्सी पहने थी, किस कलर की पहने थी, मैं नहीं बता सकता।

बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी0डब्लू0-6 विनोद कुमार अवस्थी ने अपने साक्ष्य में मृतका के सलवार सूट पहनने का उल्लेख किया है, जबकि पी0डब्लू0-7 देवी प्रसाद शुक्ला ने मैक्सी पहनने का कथन किया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ ऐसी लोमहर्षक घटना हो जाने के पश्चात् यह स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति वस्तुओं के प्रकार व रंग का ध्यान नहीं रख सकता है। ऐसी दशा में इसका कोई लाभ बचावपक्ष को नहीं दिया जा सकता।

पी0डब्लू0-7 देवी प्रसाद शुक्ला ने प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-4 पर ही यह कथन किया है कि जो पत्र मैं आई0जी0 साहब को देने गया था, वह शिव प्रकाश को बचाने के लिये देने गया था, स्वयं कहा कि गुमराह करके दिया था। जो जेवर मिले थे, वह निम्न था - (1) गले का हार, (2) पैर की पायल, (3) कमर की हॉफ पेट्टी व 27,763/-रूपया शिवप्रकाश ने अपने घर से निकालकर दिया था।

पी0डब्लू0-8 के रूप में चिकित्सक डा0 दीपक अवस्थी को परीक्षित कराया गया है। बचावपक्ष द्वारा इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-3 के सम्बन्ध में कथन किया है, जिसमें पी0डब्लू0-8 ने यह कथन किया है कि मृत शरीर के लिये कन्ट्र्यूज्ड स्वेलिंग या एकजेक्ट टाईम निकल पाना संभव नहीं है। जो मैंने ड्यूरेशन लिखाया है, उसमें 06 घन्टे का प्लस, माइनस संभव है। चोट नं0-17, 18 व 19 किसी व्यक्ति के कुन्द आले पर गिरने से भी आ सकती हैं। कैंची से पन्कचर्ड वूण्ड नहीं आएगा, स्टैब वूण्ड आएगा।

बचावपक्ष द्वारा पी0डब्लू0-11 उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में कथन किया गया, जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-3 पर यह कथन किया है कि पंचायतनामे में मृतका का पति शिव प्रकाश तिवारी पंचायतनामा का गवाह है तथा पंचायतनामा की पूरी कार्यवाही में पूरी तरह से शामिल रहा है। मृतका की मुट्ठी से कोई वस्तु बरामद नहीं हुयी थी। बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि पंचायतनामा के समय अभियुक्त का उपस्थित रहना उसकी निर्दोषिता दर्शित करता है, क्योंकि उसने कोई अपराध कारित किया होता तो वह स्वाभाविक रूप से अपने आपको छिपाने या बचाने का प्रयास करता, किन्तु अभियुक्त का स्वयं पंचायतनामे की कार्यवाही में उपस्थित रहना उसकी निर्दोषिता का स्वरूप है।

पी0डब्लू0-12 के रूप में विवेचक विनोद कुमार मिश्रा को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने मामले की विवेचना के समस्त प्रपत्रों को साबित किया है। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-9 पर पी0डब्लू0-12 ने यह कथन किया है कि बाद में वादी ने स्वयं लिखकर दिया था कि कोई सामान गायब नहीं है। जेवर गायब होने की कोई लिस्ट नहीं मिली थी। अभियुक्त द्वारा जानबूझकर लूट की योजना बनायी गयी थी। चूंकि वादी ने स्वयं लिखकर दिया था कि उसका नगदी व जेवर मिल गया है, जिसके प्रार्थनापत्र की नकल जी0डी0 में की थी, फर्द बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गली में हत्या हुयी, गली की चौड़ाई दो ढाई मीटर होगी। प्रतिपरीक्षा के पृष्ठ-9 पर साक्षी पी0डब्लू0-12 ने बताया है कि यह सही है कि सी0डी0आर0 के अनुसार मोबाइल की कॉल डिटेल् घटनास्थल पर न होकर अभियुक्त के दुकान की है। इस सम्बन्ध में बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त की लोकेशन घटनास्थल पर न होकर दुकान पर होना यह स्पष्ट करता है कि अभियुक्त घटनास्थल पर कथित घटना के समय उपस्थित नहीं था। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि साक्ष्य में मात्र मोबाइल की लोकेशन का कथन किया गया है तथा मोबाइल की लोकेशन से अभियुक्त की लोकेशन को समेकित किया जाना उचित नहीं है। यह भी सम्भव है कि अभियुक्त मोबाइल को दुकान पर छोड़कर उपरोक्त घटनास्थल पर आया हो। अतः मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त के मोबाइल की लोकेशन घटना के समय घटनास्थल पर न होकर दुकान पर है, कोई निश्चयात्मक निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-354 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्धारण बिन्दु नियत किये जाते हैं :-

(1) क्या अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी को सन्ध्या तिवारी (मृतका) की हत्या करने का हेतुक (Motive) विद्यमान था तथा क्या घटना की दिनांक 25.06.2015 के पूर्व अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी एवं सन्ध्या तिवारी (मृतका) के मध्य सम्बन्ध खराब एवं तनावपूर्ण थे?

(2) क्या अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी दिनांक 25.06.2015 को दिन में 2.00 बजे के लगभग अपने घर में मौजूद था?

निर्धारण बिन्दु संख्या-1

बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त एवं मृतका आपस में पति पत्नी थे तथा उनके दो बच्चे हैं। वे सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके मध्य कोई कटुता या द्वेष नहीं था। अभियुक्त का अपनी पत्नी की हत्या करने का हेतुक (Motive) कोई नहीं है। इस सम्बन्ध में अभियोजनपक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य का परिशीलन किये जाने पर विदित होता है कि पी0डब्लू0-1 के रूप में परीक्षित साक्षी पारसनाथ शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि जब हम लोग घटना से पहले अपनी बहन सन्ध्या तिवारी के घर जाते थे तो वह काफी दुखी रहती थी। पूछने पर हम लोगों को कुछ नहीं बताती थी क्योंकि हमारे पिता हाई ब्लडप्रेशर के मरीज थे, इसलिये वह सही बातों को छिपाती थी कि पिताजी को कुछ हो न जाए। घटना से दो दिन पहले मेरी बहन सन्ध्या तिवारी ने मां से गुजैनी न आने की शिकायत करने पर कहा था कि आप मेरे मरने के बाद ही आओगी। इसी प्रकार पी0डब्लू0-3 के रूप में परीक्षित मृतका की पड़ोसी श्रीमती सरिता ने यह कथन किया है कि हम लोगों का घर घनी आबादी में है। घनी आबादी में होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के घरों में यदि आवाज होती है तो सुनायी देती है। घटना वाले दिन प्रातः करीब 7-8 बजे अपने छज्जे सन्ध्या तिवारी को रोते हुए देखा था तथा शिव प्रकाश तिवारी को बर्तन धोते हुए देखा था तो मैंने पूछा कि क्या बात हो गयी, किन्तु कोई जवाब नहीं मिला। सन्ध्या से पूछा कि क्यों रो रही हो तो सन्ध्या ने कोई बात नहीं बतायी। इसी प्रकार पी0डब्लू0-5 के रूप में परीक्षित साक्षी सपना सिंह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया था कि मैं प्रथम खण्ड में ट्यूशन पढ़ा रही थी। जब मैंने देखा था कि प्रथम खण्ड में आगे की तरफ बैठे रो रही थी। पढ़ाने के दौरान शिव प्रकाश तिवारी आये, जिनसे मैंने पूछा कि भैया, भाभी क्यों रो रही हैं तो भैया कुछ नहीं बोले और भाभी की तरफ घूरकर देखा और चले गये। इसी क्रम में पी0डब्लू0-7 के रूप में परीक्षित मृतका के पिता देवीप्रसाद शुक्ला ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि शिव प्रकाश तिवारी मेरी पुत्री सन्ध्या तिवारी पर शक करता था। यह बात मेरी पुत्री मुझे बताती थी।

ज्यादा बात मुझे इसलिये नहीं बताती थी, क्योंकि मैं ब्लडप्रेसर कर मरीज हूँ। पी0डब्लू0-6 के रूप में मृतका के बहनोई विनोद कुमार अवस्थी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मेरे मैथा आश्रम में दिनांक 15 जून 2015 को रामायण थी, जिसमें मैंने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था, जिसमें शिव प्रकाश तिवारी, सन्ध्या तिवारी व उसकी ससुराल वाले भी आये थे। उस दिन चाय, नाश्ते में देरी होने के कारण सन्ध्या व शिव प्रकाश में कहासुनी हो गयी थी।

अभियोजनपक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से यह तथ्य दर्शित होता है कि मृतका एवं अभियुक्त के मध्य सम्बन्ध सामान्य नहीं थे एवं मृतका के पिता द्वारा किया गया कथन कि अभियुक्त सन्ध्या पर शक करता था तथा घटना के ठीक पहले के साक्षी पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता एवं पी0डब्लू0-5 सपना सिंह द्वारा मृतका का रोना एवं अभियुक्त द्वारा बर्तन धुलना तथा मृतका को घूरकर देखना यह प्रकट करता है कि मृतका और अभियुक्त के मध्य सम्बन्ध सामान्य नहीं थे। प्रकरण पति पत्नी के बीच का है। ऐसी दशा में किसी प्रत्यक्ष शत्रुता का साक्ष्य आ पाना सम्भव नहीं है और न ही न्यायालय उसकी अपेक्षा करता है। अभियोजनपक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के साक्ष्य से पति पत्नी के मध्य सम्बन्ध के सामान्य न होने एवं घटना के दिन भी अत्यन्त तनावपूर्ण सम्बन्ध होने का साक्ष्य आ चुका है तथा हेतुक (Motive) के बारे में मृतका के चरित्र पर अभियुक्त द्वारा शक किया जाना भी दर्शित होता है। अतः बचावपक्ष का यह कथन कि अभियुक्त और मृतका के मध्य सम्बन्ध सामान्य थे तथा हत्या करने की कोई वजह नहीं थी, उचित प्रतीत नहीं होता है। बल्कि पति शिव प्रकाश और पत्नी सन्ध्या के मध्य कटु व तनावपूर्ण सम्बन्ध प्रतीत होता है।

निर्धारण बिन्दु संख्या-2

बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन के किसी साक्षी ने अभियुक्त को मृतका के साथ नहीं देखा है। स्वाभाविक रूप से अपने घर पर रहते हुए देखे जाने का कथन पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता एवं पी0डब्लू0-5 सपना सिंह द्वारा अपने साक्ष्य में किया गया है, किन्तु घटना से ठीक पहले “ अंतिम बार देखे जाने का ” कोई कथन नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि पी0डब्लू0-4 प्रेमलता का साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि “ मैंने घटना वाले दिन अभियुक्त शिवप्रकाश को दोपहर लगभग दो बजे अपने घर जाते हुए देखा था। उस दिन पानी गिर रहा था, मैं बाथरूम करने ऊपर गयी

थी व पर्दा संभाल रही थी। शाम को लगभग आठ बजे मुझे मालूम हुआ कि सन्ध्या की हत्या हो गयी है। दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ की थी तथा जो मुझे मालूम था, मैंने उनको बता दिया था। “ बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि पी0डब्लू0-4 द्वारा किये गये उक्त कथन का खण्डन प्रतिपरीक्षा में स्वयं पी0डब्लू0-4 ने किया है। पी0डब्लू0-4 ने प्रतिपरीक्षा के द्वितीय पैरा में यह कथन किया है कि “ शिवप्रकाश के दोपहर में घर आने की बात मेरे मोहल्ले के लोगों ने बतायी थी। “ इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि शिव प्रकाश को दोपहर में घर आने की बात मोहल्ले वालों ने उसे बतायी थी, इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है, जो पी0डब्लू0-4 द्वारा स्वयं देखे जाने वाली बात का खण्डन कर रहा हो। प्रतिपरीक्षा में किये गये कथन मुख्य परीक्षा में किये गये कथन से कतई विरोधाभाषी नहीं है तथा इसका कोई लाभ बचावपक्ष को दिया जाना विधिसम्मत नहीं होगा। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि साक्षी पी0डब्लू0-4 प्रेमलता एक 70 वर्षीय महिला (गृहणी) है ऐसी दशा किसी विशेष सर्तकता की अपेक्षा नहीं है। इस सम्बन्ध में बचावपक्ष की तरफ से परीक्षित कराये गये साक्षी डी0डब्लू0-1 गौतम लाल त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के सम्बन्ध में बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि कथित घटना के समय अभियुक्त के घर में न होने बल्कि कार्य के सिलसिले में शास्त्री नगर में होने का साक्ष्य बचावपक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी डी0डब्लू0-1 गौतम लाल त्रिवेदी ने दिया है। इस सम्बन्ध में डी0डब्लू0-1 गौतम लाल त्रिवेदी का साक्ष्य देखे जाने पर विदित होता है कि उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि मैं ज्योतिष का काम करता हूँ। मेरा कार्यालय 127/23 शास्त्री नगर, कानपुर-नगर में है। इस कार्यालय में मैं बैठता हूँ और उमाकान्त अग्निहोत्री, अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी एवं अन्य ज्योतिषाचार बैठते हैं। शिव प्रकाश तिवारी मेरे कार्यालय में लगभग 20 वर्ष से बैठ रहे हैं। शिव प्रकाश तिवारी प्रतिदिन साढ़े ग्यारह व 12 बजे के बीच में आ जाते थे और शाम को 6-6.30 बजे तक कार्यालय में बैठते थे। दिनांक 25.06.2015 को शिव प्रकाश तिवारी कार्यालय में करीब 12 बजे दिन में आ गये थे और शाम को 6 बजे तक रहे थे तथा 6 बजे के बाद कार्यालय से चले गये थे। इस दौरान शिव प्रकाश तिवारी कार्यालय छोड़कर कहीं नहीं गये और निरन्तर कार्यालय में बैठे रहे। इस घटना की सूचना मुझे पौने आठ बजे मिली थी। प्रतिपरीक्षा किये जाने पर डी0डब्लू0-1 ने पृष्ठ-2 पर यह कथन किया है कि मेरे इस कार्यालय का ज्योतिषाचार्य का पंजीकरण मेरे नाम नहीं है। यह कार्यालय शिव प्रकाश तिवारी के नाम है। शिव प्रकाश

तिवारी के नाम ज्योतिषाचार्य कार्यालय का पंजीकरण होने का प्रमाणपत्र मैं नहीं लाया हूँ। पत्रावली पर अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी के ज्योतिषाचार्य कार्यालय स्थित शास्त्री नगर, कानपुर-नगर का पंजीकरण प्रमाणपत्र मौजूद नहीं है। यह सही है कि कार्यालय शिव प्रकाश तिवारी का है। मैं वहां बैठता हूँ। इस कार्यालय में सी0सी0टी0वी0 कैमरा नहीं लगा है। मेरे कार्यालय का लेटर पैड नहीं लाया हूँ, जिसमें कार्यालय के खुलने व बन्द होने का प्रमाण नहीं लाया हूँ। मैं उमाकान्त व शिव प्रकाश एक साथ बैठने का कोई प्रपत्र नहीं लाया हूँ। डी0डब्लू0-1 के उपरोक्त कथन से मुख्य परीक्षा में किये गये कथन कि उनके कार्यालय में शिव प्रकाश तिवारी बैठते हैं, के सर्वथा विपरीत है। प्रतिपरीक्षा में शिव प्रकाश तिवारी का कार्यालय होना और उसमें स्वयं बैठने का कथन किया है। यही नहीं उक्त कार्यालय का पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा लेटर पैड अथवा उक्त कार्यालय से सम्बन्धित कोई अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके अभाव में डी0डब्लू0-1 के बयान का अन्तर्विरोधी होना डी0डब्लू0-1 के कथनों की विश्वसनीयता को कम कर देता है तथा डी0डब्लू0-1 का यह कथन साक्ष्य की विश्वसनीयता कम होने के कारण उसका महत्व न्यून कर देता है।

अपने प्रार्थनापत्र 24क के द्वारा अभियुक्त ने यह कथन किया है कि उनके घर के सामने वाले पड़ोसी से उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं तथा उनके घर के लोग मृतका के घर की तरफ तांक झांक करते थे और अश्लीलता करते थे। अभियुक्त ने यह भी कथन किया है कि उन्होंने अपना अन्देशा बाबत् लूट व हत्या के पुलिस अधिकारी को बता दिया था, किन्तु पुलिस ने वास्तविक दोषियों से सांठगांठ कर अभियुक्त को फंसा दिया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि उक्त साक्षीगण के साक्ष्य किसी शत्रुता का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, मात्र तांक झांक करने को शत्रुता अथवा रंजिश के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि मृतका के शव परीक्षण रिपोर्ट में किसी बलात्कार अथवा किसी यौन अपराध का कथन नहीं आया है। यहाँ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि मृतका की हत्या के सन्दर्भ में मृतका के भाई, पिता व बहनोई ने स्वयं अभियुक्त की संलिप्तता का साक्ष्य दिया है। ऐसी दशा में अभियुक्त के इस कथन का कोई लाभ बचावपक्ष को नहीं दिया जा सकता है।

बचावपक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में आला कत्ल सिलबट्टा को किसी साक्षी ने मौके पर नहीं देखा था, किन्तु विवेचक ने उक्त सिलबट्टा बाद में फर्जी रिकवरी दिखाकर प्लान्ट कर दिया

है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि पी0डब्लू0-12 प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर सिलबट्टा बरामद किये जाने का साक्ष्य दिया है तथा उक्त फर्द बरामदगी सिलबट्टा को समक्ष न्यायालय साबित किया है, जो प्रदर्शक-14 के रूप में शामिल पत्रावली है। बरामदशुदा कैंची तथा सिल व बट्टा, जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्शक-13 लगायत 15 अंकित है। जहां तक बचावपक्ष का यह तर्क है कि उक्त घटनास्थल पर सिल व बट्टा यदि मौजूद रहा होता तो अन्य साक्षीगण ने भी देखा होता, किन्तु किसी भी साक्षी ने सिल व बट्टा के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। इस सम्बन्ध में न्यायालय इस मत की है कि घटनास्थल किचन के अन्दर होना बताया गया है, जो प्रदर्शक-13 नक्शा नजरी में प्रथम तल पर होना दर्शित है। किचन जैसी छोटी जगह, जहां 19 चोटों के घाव से मृत हुयी महिला का रक्तरंजित शव पड़ा हुआ हो, वहां अन्य साक्षीगण से उस स्थान पर रखी छोटी-छोटी वस्तुओं को देखे जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अतः यदि किसी साक्षी ने सिल व बट्टा देखे जाने का कथन नहीं भी किया है तो भी इससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रस्तुत मामले में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ साक्षी पी0डब्लू0-8 डा0 दीपक अवस्थी ने मृतका के शरीर का पोस्टमार्टम किया है तथा पोस्टमार्टम में मृतका के शरीर पर कुल 19 चोटें, जिनमें 16 चोटें स्टैब वूण्ड की तथा 03 चोटें कुन्द आले से आने का साक्ष्य दिया है तथा मृत्यु का कारण चोटों से हुए रक्तस्राव के कारण शॉक से होना बताया है। साक्षी पी0डब्लू0-11 उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह द्वारा मृतका को अभियुक्त के मकान के प्रथम तल के किचन के दरवाजे के पास होने का साक्ष्य दिया है। मृतका के शव को अभियुक्त के घर में पाया गया है। चिकित्सक साक्षी ने अपने साक्ष्य में मृत्यु का समय दिनांक 25.06.2015 को 11.30 बजे के बाद दोपहर में होने का साक्ष्य दिया है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक साक्षी ने अंकित किया है कि दिन में 11.30 से 12.00 बजे पोस्टमार्टम के लिये डेडबॉडी प्राप्त हुयी है, जिसमें उन्होंने मृतका की मृत्यु का समय 24 घन्टे पहले होने का कथन किया है। अभियुक्त द्वारा घटना के समय घर पर न होने का कथन किया गया है, किन्तु अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भी साबित हो चुका है कि अभियुक्त लगभग 2.00 बजे अपने घर आया था। घटना से पूर्व पति पत्नी के सम्बन्ध खराब और कटु होने का साक्ष्य पी0डब्लू0-7 देवी प्रसाद शुक्ला एवं पी0डब्लू0-1 पारसनाथ शुक्ला ने दिया है। यही नहीं घटना

से ठीक पहले के बाबत् पी0डब्लू0-3 श्रीमती सरिता एवं पी0डब्लू0-5 सपना सिंह द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है, जिसमें कि पी0डब्लू0-3 ने बताया है कि घटना के दिन सुबह उसने मृतका को रोते हुए तथा अभियुक्त को बर्तन धोते हुए देखा तथा जब पता किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी प्रकार पी0डब्लू0-5 सपना सिंह ने भी मृतका को रोते देखने की बात अभियुक्त से पूछने पर अभियुक्त द्वारा मृतका को घूरकर देख जाने का कथन किया है। ऐसी दशा में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला गठित होती है तथा इसमें किसी और व्यक्ति के प्रवेश की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् स्वयं थाने पर जाकर कोई सम्पर्क नहीं किया गया है। यही नहीं प्रारम्भ में ही गलत सूचना हत्या एवं लूट की प्रचारित की गयी है, जबकि साक्ष्य में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0-1 वादी पारसनाथ शुक्ला एवं पी0डब्लू0-7 देवी प्रसाद शुक्ला ने यह स्वीकार किया है कि घर से लूट का कोई सामान नहीं गया है।

इसी बिन्दु पर बचावपक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा उसकी निर्दोषिता का प्रमाण यह है कि उसके द्वारा पलायन नहीं किया गया और वह निरन्तर पुलिस को सहयोग करता रहा है। वह पंचायतनामा का साक्षी भी है। इस बिन्दु पर न्यायालय इस मत की है कि अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या के उपरान्त लॉकर तोड़कर यह गलत सूचना प्रचारित की गयी है कि लूट हो गयी है, किन्तु इस सम्बन्ध में पुलिस थाने में कोई सम्पर्क नहीं किया गया है, जो अभियुक्त के आचरण को संदिग्ध बनाता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **महावीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2014 (86) ए0सी0सी0 पृष्ठ-696** पर न्यायालय विश्वास व्यक्त करती है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि जहाँ मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार जीवित देखे जाने तथा मृत पाये जाने के मध्य समय अन्तराल कम हो, वहाँ इस बात की सम्भावना नहीं हो सकती कि अभियुक्त के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति अपराध कर्ता हो।

Undoubtedly, it is settled legal proposition that last seen theory comes into play only in a case where the time gap between the point of time when the accused and the deceased were seen alive and when the deceased was found dead. Since the gap is very small there may not be

any possibility that any person other than the accused may be the author of the crime.

प्रस्तुत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी डा० दीपक अवस्थी (पी०डब्लू०-४) ने अपने साक्ष्य में दिनांक 26.06.2015 को दिन में 11.30 बजे पोस्टमार्टम करना तथा मृतका की मृत्यु का समय “ लगभग एक दिन के अन्दर ” का होना बताया है तथा पी०डब्लू०-४ के रूप में परीक्षित प्रेमलत ने घटना वाले दिन अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी को दोपहर लगभग दो बजे अपने घर जाते हुए देखा था। ऐसी दशा में अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी का अपने घर, जहाँ मृतका का शव बरामद हुआ है, दिन में दो बजे जाने तथा मृतका की मृत्यु के समय के मध्य अन्तराल काफी कम समय का है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि मृतका की हत्या के सन्दर्भ में पड़ोसियों, रिश्तेदारों आदि को सूचना भी सांय 6.00 बजे के बाद ही प्राप्त होने का साक्ष्य आया है।

इसी बिन्दु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य विधि व्यवस्था **विट्ठल एकनाथ अधलिंग बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2009 (67) ए०सी०सी० पृष्ठ-455** भी महत्वपूर्ण है, जिसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि अंतिम बार देखे जाने का सिद्धान्त वहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ अंतिम बार देखे जाने के पश्चात् और मृत्यु के मध्य समय अन्तराल कम हो।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम दीपक हलधर 2009 (4) सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ-393** एवं **विजयन् राजन एवं के०वी० सदानन्दन बनाम स्टेट ऑफ केरला 1999 (8) ईस्ट क्रिमिनल केसस पृष्ठ-771 (सुप्रीम कोर्ट)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में संक्षेप में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विश्वास करने हेतु यह आवश्यक है कि साक्ष्य निम्नलिखित परीक्षणों पर खरा उतरे (1) उन तथ्यों एवं परिस्थितियों में से प्रत्येक परिस्थिति जिस पर अभियोजन निर्भर होता है, स्पष्ट रूप से सन्देह से परे साबित होनी चाहिये, (2) सम्पूर्ण रूप से विचार करने पर तथ्यों एवं परिस्थितियों का अभियुक्त की दोषिता से पूर्ण रूप से सम्बन्ध होना चाहिये, (3) तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त के निर्दोष होने के अनुमान के विपरीत होनी चाहिये अर्थात् वे तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त सभी अनुमानों को अपवर्जित कर सकें और (4) साक्ष्यों की श्रंखला इतनी सुगठित होनी चाहिये जो अभियुक्त की निर्दोषिता से द्योतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये कोई भी युक्तियुक्त आधार न छोड़ती हो।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी से उसकी पत्नी सन्ध्या (मृतका) से शक के कारण आपसी कटु सम्बन्ध का साक्ष्य मृतका के भाई पारसनाथ शुक्ला (पी0डब्लू0-1), मृतका के पिता देवी प्रसाद शुक्ला (पी0डब्लू0-7) तथा मृतका के बहनोई विनोद कुमार अवस्थी (पी0डब्लू0-6) ने दिया है। घटना से ठीक पहले अभियुक्त शिव प्रकाश तथा उसकी पत्नी सन्ध्या (मृतका) के मध्य तात्कालिक विवाद के कारण खराब सम्बन्ध का साक्ष्य मृतका के घर के सामने की पड़ोसी सरिता सिंह (पी0डब्लू0-3), जिन्होंने मृतका को रोने व अभियुक्त द्वारा बर्तन मांजने का साक्ष्य दिया है। इसी क्रम में मृतका के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली सपना सिंह (पी0डब्लू0-5) ने भी घटना के ठीक पहले मृतका के रोने का कारण पूछने पर अभियुक्त द्वारा मृतका को घूरकर देखने का साक्ष्य दिया है। घटना से ठीक पहले घर में (जहाँ मृतका का शव बरामद हुआ है), अभियुक्त शिव प्रकाश को दिन में दो बजे जाते देखने का साक्ष्य पी0डब्लू0-4 प्रेमलता ने दिया है। अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी के घर के अन्दर प्रथम तल पर किचन के अन्दर मृतका सन्ध्या का रक्तरंजित शव का मिलना, अभियुक्त के घर के अन्दर जाने का समय तथा मृतका की मृत्यु का समय भी लगभग समान है। साथ ही साथ मृतका की नृशंस हत्या के बाद अभियुक्त द्वारा मृतका की बहन व अन्य को “लूट/हत्या” की असत्य सूचना दी गयी, जैसा कि पारसनाथ शुक्ला (पी0डब्लू0-1 वादी) तथा विनोद कुमार अवस्थी (पी0डब्लू0-6) द्वारा साक्ष्य दिया गया है, जबकि साक्ष्य में आ चुका है कि कोई लूट जैसी घटना घटित नहीं हुयी है। अभियोजनपक्ष की तरफ से परीक्षित मृतका के भाई, पिता व बहनोई ने किसी जेवर अथवा मूल्यवान सम्पत्ति का गायब होने का साक्ष्य नहीं दिया है। यही नहीं अभियोजनपक्ष द्वारा परीक्षित पक्षद्रोही साक्षी जितेन्द्र कुमार दुबे ने भी मुख्य परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि “ शिव प्रकाश के पिता ने स्वयं बताया था कि कुछ गया नहीं है, पैसे आदि सभी घर पर रखे हैं। ” उपरोक्त समस्त परिस्थितियों अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी की दोषिता को प्रदर्शित करती हैं तथा अन्य किसी व्यक्ति के घटना में सम्मिलित होने की सम्भावना को अपवर्जित भी करती हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के अन्तर्गत परीक्षण की कसौटी पर प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी की दोषिता साबित होती है। अभियुक्त के घर में किसी अन्य व्यक्ति के प्रवेश का कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी दशा में न्यायालय इस मत की है कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी मृतका सन्ध्या तिवारी की कैंची एवं सिलबट्टे से वार करके हत्या कारित की गयी है

तथा उसकी निशानदेही पर ही आलाकत्ल सिलबट्टे की बरामदगी की गयी है।

अपने तर्कों के सम्बन्ध में बचावपक्ष द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **सुभाष चन्द्र उर्फ कल्लू एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2022 (3) जे0आई0सी0 पृष्ठ-210** प्रस्तुत की गयी है। सन्दर्भित प्रकरण में मृतक को उसकी दुकान से अभियुक्तगण द्वारा ले जाया गया था। कथित बरामदगी को सन्देह से परे साबित नहीं किया जा सका था। ऐसी परिस्थितियों में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला तैयार न होने पर दोषमुक्ति की गयी थी, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियाँ भिन्न हैं। ऐसी दशा में बचावपक्ष के इस तर्क का कोई लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता।

बचावपक्ष द्वारा माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **हिदायत अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड 2022 (3) जे0आई0सी0 पृष्ठ-96** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सन्दर्भित मामले में जहाँ अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था, कोई मोटिव नहीं था तथा कथित परिस्थितियाँ किसी श्रृंखला का निर्माण नहीं करती थीं, वहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकृत करते हुए दोषमुक्ति का आदेश पारित किया था, किन्तु सन्दर्भित प्रकरण की परिस्थितियाँ भी प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं। अतः भिन्न परिस्थितियाँ होने के कारण उक्त विधि व्यवस्था प्रस्तुत प्रकरण में प्रयोज्य नहीं है।

बचावपक्ष द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **राजपाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2022 (2) जे0आई0सी0 पृष्ठ-16** प्रस्तुत की गयी है। सन्दर्भित प्रकरण में जहाँ कोई चश्मदीद साक्षी नहीं था। अभियुक्त ने मृतक से एक भूमि क़य की थी और प्रतिफल नहीं दिया था। अभियुक्त, मृतक को अपने साथ ले गया था। कोई परिस्थितियाँ सर्वोत्तम साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं की गयी हैं। साक्षीगण के साक्ष्य विरोधाभाषी एवं अविश्वसनीय हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषमुक्ति की गयी थी, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला साबित होती है और साक्षीगण की साक्ष्य भी विरोधाभाषी एवं अविश्वसनीय नहीं है। अतः भिन्न परिस्थितियाँ होने के कारण उक्त विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत प्रकरण में प्रयोज्य नहीं है।

बचावपक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **चन्द्रपाल बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 (3) जे0आई0सी0**

पृष्ठ-179 प्रस्तुत की गयी है। सन्दर्भित प्रकरण में अभियुक्त को अंतिम बार देखे जाने के सिद्धान्त व न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया था, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त साक्ष्य को पर्याप्त नहीं मानते हुए दोषमुक्ति कर दी थी, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में मृतका अभियुक्त के घर में मृत पायी गयी है। मृतका के साथ कोई बलात्कार अथवा छेड़छाड़ का साक्ष्य नहीं है और न ही किसी लूटपाट की ही साक्ष्य है तथा मृतका के शरीर (विशेषतया चेहरे) पर कुल 19 चोटें कारित की गयी हैं। अतः भिन्न परिस्थितियों होने के कारण उक्त विधि व्यवस्था भी प्रस्तुत प्रकरण में प्रयोज्य नहीं है।

अभियोजनपक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **रत्नेश कुमार पाण्डेय बनाम उ० प्र० राज्य 2015 (2) सी०सी०एस०सी० पृष्ठ-806 (एस०सी०)** प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त विधि व्यवस्था की परिस्थितियों एवं केस प्रस्तुत मामले से मेल खाता है। सन्दर्भित विधि व्यवस्था में भी पति, पत्नी की हत्या कारित करने के उपरान्त घर से चला गया था और बाद में झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज करायी थी तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर ही विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था से अभियोजन कथानक को बल प्राप्त होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया था कि जब मृतका की मृत्यु के तत्काल पूर्व अभियुक्त एवं मृतका एक साथ रह रहे हों, तब यह साबित करने का भार व्यापक रूप से अभियुक्त पर ही होगा कि मृतका को जान से मारने में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त और मृतका को एक साथ रहने का स्वीकृत केस है। घटना के ठीक पहले मृतका और अभियुक्त एक साथ देखे भी गये हैं। ऐसी दशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में भी बचावपक्ष को अपनी निर्दोषिता स्वयं साबित करनी थी, जिसे बचावपक्ष साबित कर पाने में पूर्णतया विफल रहा है।

अभियोजनपक्ष की ओर से ही माननीय उच्चतम न्यायालय की एक अन्य विधि व्यवस्था **सदयप्पन उर्फ गणेशन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व 2019 (3) सी०सी०एस०सी० पृष्ठ-1456 (एस०सी०)** प्रस्तुत की गयी है। उपरोक्त विधि व्यवस्था में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियोजन मामला

किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तो वह स्वीकार्य है तथा साक्षी को केवल पीड़िता का सम्बन्धी होने के कारण हितबद्ध साक्षी होना नहीं कहा जा सकता है। प्रस्तुत मामले में स्वतन्त्र साक्षीगण ने भी अभियोजन कथानक का समर्थन किया है एवं मृतका के भाई व पिता द्वारा भी साक्ष्य दिया गया है। उन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधि व्यवस्था के आधार पर हितबद्ध साक्षी कहा जाना विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी के विरुद्ध धारा-302 भा0द0सं0 का आरोप सन्देह की सीमा से परे सिद्ध है। अतः अभियुक्त शिव प्रकाश तिवारी उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-302 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध होने योग्य है।

अभियुक्त शिवप्रकाश तिवारी को धारा-302 भा0द0सं0 के आरोप का दोषी पाया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में इस समय न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये पत्रावली दिनांक 01.10.2022 को पेश हो।

दिनांक-30.09.2022

(अजय कुमार त्रिपाठी-II)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01,
कानपुर नगर।

01.10.2022

सजा के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त शिवप्रकाश तिवारी न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को अभियुक्त को दी जाने वाली सजा के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस सम्बन्ध में पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर दिया गया। किसी पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कथन किया गया।

अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा यह उसका प्रथम अपराध है। अतः उसे कम से कम सजा से दंडित किया जाये।

इसके विपरीत अभियोजनपक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी मृतका सन्ध्या तिवारी की कैंची एवं सिलबट्टे से मारकर निर्मम हत्या कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध जघन्य प्रकृति का अपराध है। अतः अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किया जाये।

मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियुक्त द्वारा कारित अपराध तथा अपराध कारित करने की परिस्थितियों व अपराध का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव आदि समस्त बातों पर विचार करने के उपरान्त प्रस्तुत मामला ऐसा नहीं है कि विरलतम से विरले मामले की श्रेणी में आता हो, जिसमें कि मृत्युदण्ड की सजा दी जाये। अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध तथा अपराध का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव आदि बातों पर विचार करने के उपरान्त अभियुक्त शिवप्रकाश तिवारी को धारा-302 भा0द0सं0 के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा 20,000/-रूपये (बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्त शिवप्रकाश तिवारी को धारा-302 भा0द0सं0 के आरोप का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 20,000/-रूपये (बीस हजार रूपये) अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगेगा।

अभियुक्त के द्वारा विचारण के दौरान जेल में बितायी गयी अवधि अभियुक्त की सजा में समायोजित की जायेगी।

वारन्ट सजायाबी बनाकर अभियुक्त को सजा भुगतने के लिये तत्काल जेल भेजा जाये।

इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को तत्काल नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक-01.10.2022

(अजय कुमार त्रिपाठी-II)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01,
कानपुर नगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनांक-01.10.2022

(अजय कुमार त्रिपाठी-II)

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01,
कानपुर नगर।